(क) वर्ष 1967-68 में भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी के अखबारों को अलग-अलग कितने मूल्य के विज्ञापन दिये गये;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दी के अखबारों के पाठकों की संख्या अंग्रेजी के अखबारों के पाठकों की संख्या से अधिक है और बहुत से व्यक्ति केवल हिन्दी के ही अखबार पढ़ते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार पत्रों को अंग्रेजी और हिन्दी भाषी व्यक्तियों की प्रतिशतता के आधार पर विज्ञापन देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो अंग्रेजी के अखबारों को प्रोत्साहन देने और हिन्दी के अखबारों के साथ भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1967-68 में जारी किये गये विज्ञापनों का मूल्य :—

	सजावटी रु०	वर्गीकृत रु०
1. अंग्रेजी समाचार पत्रों को	11,14,481	27,36,073
2. हिन्दी समाचार पत्रों को	5,20,984	4,52,321

(ख) प्रेस इन इण्डिया, 1968 (भाग 1), अध्याय 3, तालिका संख्या 23, पृष्ठ 41, जिसकी एक प्रति 28 अगस्त, 1968 को सदन की मेज पर रख दी गई थी, में दिये गये डाटा के अनुसार अंग्रेजी और हिन्दी के दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की खपत संख्या निम्न प्रकार थी :

	खपत संख्या	
	1965	1966
अंग्रेजी	61,92,000	61,18,000
हिन्दी	46,89,000	49,55,000

1966 में अंग्रेजी दैनिकों की कुल खपत संख्या 16,77,000 थी और हिन्दी दैनिकों की 9,71,000 ।

(ग) और (घ). विज्ञापन देने के लिये निम्नलिखित सिद्धान्त ध्यान में रखे जाते हैं :

(1) प्रभावी खपत (सामान्यत: 1000 से कम बिक्री वाले समाचारपत्रों का उपयोग नहीं किया जाता) ।

(2) प्रकाशन में नियमितता (लगातार 6 महीने का प्रकाशन आवश्यक है) ।

(3) पाठकों की श्रेणी ।

(4) पत्रकारिता सम्बन्धी नैतिकता के स्वीकृत स्तरों का पालन ।

(5) अन्य बातें जैसे निर्माण स्तर, उपलब्ध-धन के अन्दर अन्दर किन किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन देते हैं ।

(6) विज्ञापन की दरें जो सरकार को प्रचार की आवश्यकताओं के लिये उचित और स्वीकृत समझी जायें ।

हिन्दी में प्रकाशित समाचार-पत्रों के साथ भेदभाव नहीं बरता जाता ।

लोक सभा की बैठक में उत्तर दिए जाने के लिए पाकिस्तान से विचार विमर्श

221. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नंजा गौडर :

श्री न० कु० सांधी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री अविचन :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सीता राम केसरी :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि रं० लास्कर :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री म० सुदर्शनम :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री बाल्मीकी चौधरी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री य० आ० प्रसाद :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री देवव्रत बरुआ :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री जि० बं० सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ओंकार सिंह :
श्री श्रीगोपाल साहू :
श्री जे० मुहम्मद इस्लाम :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री क० प्र० सिंह देव :
डा० सुशीला नैयर :
श्री वंशनारायण सिंह :

क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-पाक विवादों को हल करने के लिये हाल ही में पाकिस्तान सरकार से एक संयुक्त व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया है और युद्ध न करने की सन्धि के बारे में पुनः अपना प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी हां। सरकार ने पाकिस्तान को सुझाव दिया था कि एक द्विपक्षीय संयुक्त व्यवस्था क़ायम की जाए जो युद्ध न करने की संधि पर हस्ताक्षर हो जाने के तुरन्त बाद ही भारत-पाक सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए तथा दोनों देशों के बीच की सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए बातचीत शुरू करे। इस संयुक्त संस्था का उद्देश्य होना चाहिए—स्थिति को सामान्य बनाना और दोनों देशों के बीच के सभी मतभेदों को एक-एक करके निबटाना। इस तरह संयुक्त संस्था स्थापित करना ताशकंद घोषणा की व्यवस्थाओं के अनुरूप भी होगा।

पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने अब तक जो बयान दिए हैं वे उत्साहवर्धक नहीं हैं।

हिन्दी समाचार अभिकरण

222. **श्री राम चरण :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री मोलहू प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय हिन्दी के समाचार अभिकरणों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार ने प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया को, जो अंग्रेज़ी समाचार अभिकरण हैं, उनके प्रारम्भिक काल में कौनसी विशिष्ट सुविधायें दी थीं;

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्दी समाचार अभिकरणों को भी विशिष्ट सुविधायें देने का है ताकि वे अंग्रेजी समाचार अभिकरणों के स्तर तक आ सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) देश में इस समय कितनी हिन्दी समाचार एजेन्सियां हैं इसके बारे में सरकार के पास ठीक जानकारी नहीं है, क्योंकि समाचार एजेन्सियों को पंजीकृत करने का इस समय कोई कानून नहीं है। तथापि, हिन्दी की दो समाचार एजेन्सियों अर्थात हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को सरकार के मुख्यालयों में प्रत्यायन सुविधाएं दी गई हैं।

(ख) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया और यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया को प्रारम्भिक अवस्था में उनके आवेदन पर प्रत्यायन सुविधाओं और सामान्य भाड़े पर दूर संचार कनेक्शनों को छोड़कर और कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी गई थीं। ये सुविधाएं सामान्यतः सभी समाचार एजेन्सियों को दी जाती हैं। (ग) और (घ) : प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित हिन्दी की दो समाचार एजेन्सियों को भी वही सुविधाएं दी गई थीं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने आवश्यक सुरक्षण का ध्यान रखते हुए टेलीप्रिन्टर आदि खरीदने के लिए समाचार भारती को 5 लाख रुपए का ऋण देना स्वीकार किया है। यह ऋण ब्याज मुक्त होगा और ऋण लेने की तारीख से 5 साल के बाद 10 किश्तों में देना होगा। 75,000 रुपए की पहली किश्त दी जा चुकी है और दूसरी किश्त के लिए उनके आवेदन-पत्र पर कार्रवाई हो रही है। दो लाख रुपए के ऋण के लिए हिन्दुस्तान समाचार का आवेदन-पत्र विचाराधीन है।

रस्टरवर्ग में भारतीयों को दिया गया आदेश

223. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री प० मु० सैद :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री देवकीनन्दन पटोदिया :
श्री रा० कु० सिंह :
श्री सीताराम केसरी :
श्री समर गुह :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री दिनकर देसाई :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री अ० अहमद :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान